# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र लोढ़ा

तारीख रज्जू– 04/09/19

[illegible] संख्या 33/19

[illegible] ओमप्रकाश पुत्र हनुमान उम्र 28 जाति काछी निवासी काछीपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा। –अपीलार्थी

बनाम

–रेस्पोडेन्ट

[illegible] सरकार जरिये नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा ।

निर्णय

दिनांक 26·9·19.

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार चौथ [illegible] द्वारा मिसल संख्या 438/15 में पारित निर्णय दिनांक 16/10/15 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा [illegible] ग्राम काछीपुरा के आराजी ख0नं0 1198 रकबा 0.50 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर [illegible] का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने [illegible] किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन [illegible] अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की [illegible]

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत [illegible] कानून व रूबेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि [illegible] में एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, [illegible] अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया [illegible] उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट [illegible] पूर्ववर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न [illegible] अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिकमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद [illegible] में अतिकमण नहीं था, साथ ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस में भी अपीलान्ट के [illegible] नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि [illegible] द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का [illegible] पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व [illegible] अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

[illegible] बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष [illegible] के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर [illegible] अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया जिस पर [illegible] जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व में किये [illegible] या अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर [illegible] का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सिविल कारावास की सजा [illegible] पाया गया है। ऐसी अवस्था में सुदृढ अभिलेख के अभाव में पारित किया गया [illegible] प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है।

[illegible] के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत [illegible] सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश शास्ति व बेदखली [illegible] जाता है।

[illegible] 26-9-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर